

## कार्यालय नगर पालिका परिषद, अमरोहा (जनपद—अमरोहा)

### अति अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

क्रमांक:- 1229/OS/2024

दिनांक:- 04/03/2024

शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्म को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, अमरोहा वन्दन योजनान्तर्गत खीकृत निम्नलिखित स्थल के विकास कार्य हेतु ऑनलाइन निविदायें उत्तर प्रदेश के ई-प्राक्योरमेंट पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित करती है। इच्छुक ठेकेदार अपनी—अपनी निविदायें दिनांक 05/03/2024 अपराह्न 03.00 बजे से दिनांक 13/03/2024 सायं 06.00 बजे तक ई-प्राक्योरमेंट पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड कर सकते हैं। उक्त निविदायें पालिका की टैण्डर समिति द्वारा दिनांक 14/03/2024 को दोपहर 02.00 बजे नगर पालिका परिषद, अमरोहा में खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय (लाख में)	अर्नेस्ट मनी (लाख में)	मूल्य टैंडर (GST सहित)	सिक्योरिटी डिपॉज़िट (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद, अमरोहा में अवस्थित श्री वासुदेव तीर्थ स्थल में अवश्यपना सुविधाओं का कार्य।	200.00	4.00	8500.00	16.00	03 माह

उपरोक्त कार्यों की निविदाओं से सम्बन्धित ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स दिनांक 14/03/2024 को दोपहर 02.00 बजे तक पालिका में जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित अवधि में टैण्डर फीस, अर्नेस्ट मनी व निविदा से सम्बन्धित वाचित अभिलेख प्राप्त न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

#### सामान्य निर्देश/शर्तें:-

- 1- निविदा प्रपत्र (टैंडर फार्म) का मूल्य नकद अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा के नाम देय होगा अथवा उक्त धनराशि नगर पालिका परिषद, अमरोहा के एक्सिस बैंक खाता संख्या 913010053678171 (आईएफओएस०सी० कोड- UTIB0001157) में आर०टी०जी०एस० या एन०ई०एफ०टी के माध्यम से या ऑनलाइन भी जमा की जा सकती है।
- 2- निविदा की अर्नेस्ट मनी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा के नाम बन्धक डाक घर की पास बुक/एन०एस०सी०/बैंक की एफ०टी०आर०/टी०टी०आर० अथवा नकद अथवा नगर पालिका परिषद, अमरोहा के एक्सिस बैंक खाता संख्या 913010053678171 (आईएफओएस०सी० कोड- UTIB0001157) में आर०टी०जी०एस० या एन०ई०एफ०टी के माध्यम से या ऑनलाइन भी जमा की जा सकती है।
- 3- निविदादाता द्वारा उन विभागों द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण—पत्र/कार्य सन्तोषजनक होने का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट संलग्न किया जायेगा, जिनमें उक्त (सम्बन्धित कार्य) कार्य की समान प्रकृति के कार्य किये गये हों अथवा किये जा रहे हों।
- 4- निविदा देने वाले की कुल हैसियत कार्य की लागत का कम से कम एक तिहाई होना आवश्यक है।
- 5- पिछले 03 वर्षों की Income Tax copy संलग्न करनी होगी।
- 6- आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण—पत्र व हैसियत प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 7- किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में वर्ष 2023–24 में ठेकेदारी के पंजीकरण की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 8- निविदादाता को 100 रुपये के स्टाम्प पर फोटोयुक्त शपथ पत्र (T-6) प्रस्तुत करना होगा (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
- 9- कार्य पूर्ण होने के दिनांक से एक वर्ष तक उक्त स्थल का रख-रखाव कार्यदारी ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् पांच वर्ष तक उपरोक्त कार्य अन्तर्गत विकसित किये गये स्थल के ऑपरेशन एण्ड मेट्रोनेस का दायित्व कार्यदारी ठेकेदार/फर्म का होगा।
- 10- निविदा की दरें पूरे आगणन अर्थात Overall % basis पर ही मान्य होंगी।
- 11- निविदा खोले जाने की तिथि का कोई अवकाश होगा तो उसके अगले दिन निविदा खोली जायेगी।
- 12- जिन निविदादाताओं की तकनीकि विड की शर्त पूर्ण होंगी केवल उन्हीं की वित्तीय विड खोली जायेगी, जिनकी तकनीकि विड की कोई भी शर्त अपूर्ण होगी उनकी वित्तीय विड बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
- 13- अनुबन्ध/संविदा के समय सम्बन्धित कार्य की सिक्योरिटी (कॉलम-6 में अंकित) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा के नाम बन्धक डाक घर की पास बुक/एन०एस०सी०/बैंक की एफ०टी०आर०/टी०टी०आर० के रूप में जमा करनी होंगी।
- 14- कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा को निविदा निरस्त करने अथवा प्रतिदिन नियमानुसार अर्थदण्ड लगाने का अधिकार होगा।
- 15- निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने या अनुबन्ध करने के लिये उचित शर्त तय करने का अधिकार, अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा का है।
- 16- शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के क्रम में उक्त निविदाओं में भाग लेने हेतु निविदा के समय निविदादाता का पालिका में पंजीकरण आवश्यक नहीं है, परन्तु ऐसे निविदादाता की न्यूतम निविदा प्राप्त होने पर अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज़ नगर पालिका परिषद, अमरोहा में जमा कर ठेकेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 17- उपरोक्त कार्यों का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 18- संशर्त निविदा रसीकार नहीं की जायेगी।
- 19- निविदादाता द्वारा निविदत दरें वी०आ०क्य० में वर्णित दरों से निम्न प्राप्त होने पर नियमानुसार अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देय होगी।
- 20- अन्य नियम व शर्त संलग्न हैं।

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

Shashikumar  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद अमरोहा

प्रतिलिपि:-

- 1- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड करने हेतु।
- 2- नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर पालिका परिषद, अमरोहा पर चरणा करने हेतु।
- 3- नोटिस बोर्ड कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा पर चरणा करने हेतु।
- 4- नोटिस बोर्ड कार्यालय उपजिलाधिकारी महोदय, अमरोहा पर चरणा करने हेतु।
- 5- नगर पालिका परिषद, अमरोहा की वैबसाईट [www.nppamroha.com](http://www.nppamroha.com) पर प्रकाशित करने हेतु।

अधिशारी/अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

Shashi - m  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद अमरोहा